कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या– 144 / 16 तिथि–23.09.2016

लाल बहादुर साह एवं अन्य चार बनाम कार्य0पदा0,कटरा एवं अन्य

उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

निर्णय

परिवादी श्री लाल बहादुर साह एवं अन्य चार द्वारा दिनांक–23.08.2016 को एक परिवाद दायर किया गया जिसमें उन्होंने वनपोषक के रूप में किए गए कार्य का भुगतान नहीं होने का आरोप लगाया है। इनका जॉब कार्ड सं0–148 एवं खाता सं0–8500138 है। इन्होंने योजना सं0–12 / 11–12 में वनपोषक के रूप में दिनांक–16.09.2013 से 24.12.2013 तक एवं दिनांक–04.04.2014 से 12.07.2014 तक काम किया है। इन्होने अपने तीन पुत्र यथा संजय साह, अर्जुन साह एवं भरत साह द्वारा भी काम किए जाने एवं उनके भुगतान लंबित रहने का शिकायत किया है। इनमें से संजय साह एवं अर्जुन साह को कुछ भुगतान होने की बात कहा है।

उपरोक्त के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, कटरा, मुखिया पंचायत राज, मधेपुरा एवं पंचायत रोजगार सेवक, मधेपुरा को नोटिस जारी की गई। इसके जवाब में पंचायत रोजगार सेवक, मधेपुरा ने प्रतिवेदित किया है कि परिवादी श्री लाल बहादुर साह द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में सामाजिक वानिकी अंतर्गत वृक्षारोपण योजना सं0–12 / 11–12 में दिनांक–05.03.2012 से 13.06.2012 तक वनपोषक के रूप में कार्य किया है। मनरेगा योजना अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को क़ेवल 100 दिन का रोजगार ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी अंकित किया है कि परिवादी श्री लाल बहादुर साह द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के बाद किसी अन्य योजना में कार्य नहीं किया गया है। साक्ष्य स्वरूप एडभाईस की छायाप्रति संलग्न की गई है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि परिवादी श्री लाल बहादुर साह के उपरोक्त तीनों पुत्र एक ही परिवार के रूप में एक ही मकान में रहते हैं।

–: विचारणीय बिन्दु :–

(1) क्या परिवादी श्री लाल बहादुर साह ने मनरेगा योजना अंतर्गत वनपोषक के रूप में कार्य किया है ?

(2) क्या परिवादी श्री लाल बहादुर साह के तीनों पुत्र संजय साह, अर्जुन साह एवं भरत साह द्वारा भी मनरेगा योजना अंतर्गत वनपोषक का कार्य किया है ?

(3) क्या उपरोक्त सभी मजदूरों का भुगतान हुआ है ?

–: निष्कर्ष :–

पंचायत रोजगार सेवक, मधेपुरा द्वारा संलग्न किए गए एडभाईस से स्पष्ट होता है कि इन सभी का भुगतान हो चुका है। परिवादी श्री लाल बहादुर साह अपने दो पुत्रों के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हुए। उनके जॉब कार्ड के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि इनके तीनों पुत्रों का अलग–अलग जॉब कार्ड बना हुआ है। जबकि ये सभी एक ही परिवार से हैं और इनका एक परिवार के रूप में एक ही जॉब कार्ड निर्गत होना चाहिए था। अभिलेख से स्पष्ट होता है कि जो मजदूरी देय है वह दी जा चुकी है।

–: आदेश :–

कार्यक्रम पदाधिकारी, कटरा परिवादी श्री लाल बहादुर साह एवं इनके तीनों पुत्रों को एक परिवार मानते हुए एक जॉब कार्ड निर्गत करें। इन्हें इस परिवाद के आलोक में कोई मजदूरी देय नहीं है।

ह0/
लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 38 / मुज0,दिनांक– 23 / 09/ 2016

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि :– संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

रमेन्द्र नाथ राय 23.9.16
लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।